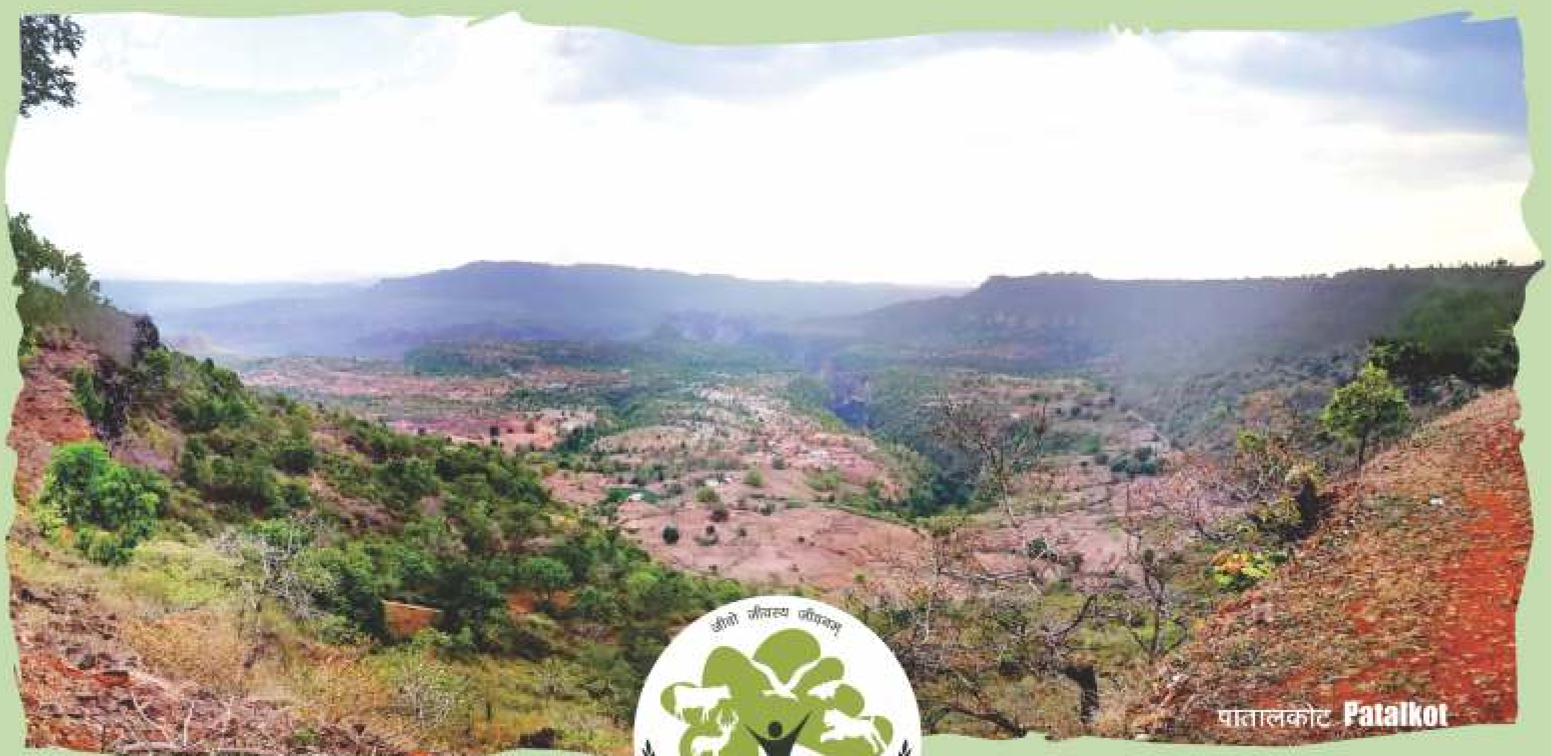

मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017

(चयन, प्रबंधन और अन्य)

Madhya Pradesh Biodiversity Heritage Site Guidelines, 2017

(Selection, Management and Others)

कॉपी राईट © म.प्र.जै.वि.बो., 2017

अस्वीकरण
इस पुस्तिका के प्रकाशन में सभी सावधानियां बरती गई हैं यद्यपि कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आशयपूर्ण नहीं है।

आवरण छाया चित्र सौजन्य
डॉ. दीपक आचार्य, अहमदाबाद

अभिकल्पना एवं मुद्रण
मेसर्स कॉन्सेप्ट ऑरेंज, भोपाल

प्रकाशन
सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
26, किसान भवन, प्रथम तल,
अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

Madhya Pradesh Biodiversity Heritage Site Guidelines, 2017
(Selection, Management and Others)

मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017
(चयन, प्रबंधन और अन्य)

बसंत प्रताप सिंह
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

संदेश

मध्यप्रदेश जैवविविधता संपन्न प्रदेश है। इनके संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा **मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशा–निर्देश 2017** मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

इस मार्गदर्शिका के माध्यम से जैवविविधता संरक्षण से संबंधित सभी शासकीय विभाग क्षेत्र विशेष के आधार पर जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करने की व्यवस्था की गई है तथा उन क्षेत्रों की प्रबंधन योजना बनाकर उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जैवविविधता का संरक्षण व प्रबंधन किया जाना है। जिससे वहाँ के स्थानीय समुदायों के जीवन की आजीविका को सुरक्षा प्रदान कर समुदाय के जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकेगी। क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित करने से उस क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों में जैवविविधता संरक्षण की जागरुकता को विकसित कर एवं प्राकृतिक संसाधनों के विनाश सहित शोषण को समाप्त कर क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा ''**मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशा–निर्देश 2017**'' मार्गदर्शिका का प्रकाशन जैवविविधता के संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में सराहनीय कार्य है। यह मार्गदर्शिका जैवविविधता से संबंधित सभी सहयोगी विभागों, समुदायों एवं साझेदारों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मेरी शुभकानाऍं

(बसंत प्रताप सिंह)

आर. श्रीनिवास मूर्ति, भा.व.से.
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा सन् 2002 में जैवविविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित और साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने के संबंध में जैवविविधता अधिनियम लागू किया गया है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत स्थानीय निकाय के परामर्श से जैवविविधता महत्व के क्षेत्रों को जैवविविधता विरासतीय स्थल के रूप में राजपत्र में अधिसूचित करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 (1) के अंतर्गत प्रदेश में स्थित जैवविविधता महत्व के क्षेत्रों को केन्द्र शासन एवं स्थानीय निकाय से परामर्श के आधार पर जैवविविधता विरासतीय स्थल अधिसूचित करने की व्यवस्था दी गयी है तथा नियम 22 (2) के अंतर्गत जैवविविधता विरासतीय स्थल का चयन, प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्था के संबंध में दिशानिर्देश बनाये जाने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की दिनांक 25.02.2017 को आयोजित 12 वीं बोर्ड बैठक में उपरोक्त विधि–विधान के परिवेश में मध्य प्रदेश जैवविविधता विरासतीय स्थल के संबंध में **मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017** का अनुमोदन किया गया है, जिसे मार्गदर्शिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रदेश में वानिकी जैवविविधता, कृषि जैवविविधता, पालतू जैवविविधता, उद्यानिकी जैवविविधता, मत्स्य जैवविविधता के क्षेत्रों में जैवविविधता महत्व के क्षेत्र विद्यमान हैं। इन जैवविविधता से संबंधित सहयोगी विभाग उन क्षेत्रों को संरक्षित करने हेतु जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में चिन्हित एवं घोषित करने की कार्यवाही में सहयोगी हो सकते हैं। इस प्रयास में मदद करने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश में संभावित (Indicative) जैवविविधता विरासत स्थलों की सूची इस प्रकाशन में सम्मिलित की है।

अतः मध्य प्रदेश में जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले सभी विभागों (वन, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, उद्यानिकी) से आग्रह है कि अपने–अपने क्षेत्राधिकार में जैवविविधता महत्व वाले क्षेत्रों की जैवविविधता संरक्षण की दिशा में उन्हें चिन्हाकित कर अपने प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को भेजें ताकि प्रदेश की जैवविविधता धरोहर को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ प्रबंधन करते हुए बचाया जा सके।

जैवविविधता विरासत स्थलों की घोषणा व तत्संबंधी प्रबंधन योजना निर्माण के उपरांत इन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण व केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017 बनाने हेतु बोर्ड द्वारा गठित समिति के सदस्यगण डॉ. यू.आर. सिंह, प्रो. कृष्ण कुमार के., प्रो. ए.के. कान्डया, श्री अनिल कुमार नागर एवं डॉ. बकुल लाड, का बोर्ड आभारी है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में व प्रदेश के जैवविविधता विरासत स्थलों को संजोये रखने में यह प्रकाशन मददगार साबित होगा।

आर. श्रीनिवास मूर्ति
सदस्य सचिव

भोपाल
अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस व विश्व जल दिवस
21–22 मार्च, 2017

विषयसूची

1.	जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना संबंधी वैधानिक प्रावधान		9
2.	मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017 (चयन, प्रबंधन और अन्य)		10
	A.	चयन	10
	1.	पृष्ठभूमि	10
	2.	परिभाषा	10
	3.	जैवविविधता विरासत स्थलों का महत्व और उद्देश्य	11
	4.	जैवविविधता विरासत स्थलों की पहचान के मानदण्ड	11
	5.	जैवविविधता विरासत स्थल की श्रेणियाँ	12
	6.	जैवविविधता विरासत स्थल की चयन एवं घोषणा की प्रक्रिया	12
	B.	निगरानी और प्रबंधन	14
	1.	जैवविविधता विरासत स्थल हेतु समिति का गठन	14
		a) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति	
		b) जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति	
	2.	जैवविविधता विरासत स्थल का प्रबंधन	14
		a) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की भूमिका	
		b) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की भूमिका	
		c) जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति की भूमिका	
		d) जैवविविधता प्रबंधन समिति की भूमिका	
	3.	जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना के घटक	16
	4.	अनुमोदन	16
3.	दिशानिर्देश संबंधी परिशिष्ट		
	परिशिष्ट – 1. जैवविविधता विरासत स्थल की घोषणा के लिए प्रस्ताव		17
	परिशिष्ट – 2. क्षेत्र दल का गठन		18
	परिशिष्ट – 3. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति		19
	परिशिष्ट – 4. जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति		20
	परिशिष्ट – 5. जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना के घटक		21

.

CONTENT

1. Legal Provisions for Establishment of Biodiversity Heritage Site 25

2. Madhya Pradesh Biodiversity Heritage Site Guidelines, 2017 26
(Selection, Management and Others)
A. Selection 26
1. Background 26
2. Definition 26
3. Significance and Objectives of Biodiversity Heritage Sites 27
4. Criteria for Identification of Biodiversity Heritage Sites 27
5. Categories of Biodiversity Heritage Sites 28
6. Procedure for Identification and Declaration of Biodiversity Heritage Sites 28

A. Monitoring and Management 31
1. Formation of Committee for Biodiversity Heritage Site 31
a) State Level Monitoring Committee 31
b) District Level Monitoring and Management Committee 31
2. Management of Biodiversity Hetitage Site 31
a) Role of MP State Biodiversity Board 31
b) Role of State Level Monitoring Committee 32
c) Role of District Level Monitoring and Management Committee 32
d) Role of Biodiversity Management Committee (BMC) 32
3. Component of BHS Management Plan 32
4. Approvals 32

3. Annexure for Guidelines
Annexure- 1. Proposal for Declaration of Biological Heritage Site (BHS) 33
Annexure- 2. Constitution of Field Team for Study 34
Annexure- 3. State Level Monitoring Committee 34
Annexure- 4. District Level Monitoring and Management Committee 35
Annexure- 5. Component of BHS Management Plan 36

4. मध्यप्रदेश जैव जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017 के क्रियान्वयन के संबंध में सदस्य सचिव का पत्र। 38
5. मध्यप्रदेश में संभावित जैवविविधता विरासत स्थलों की सूची 39
6. Indicative List of Biodiversity Heritage sites of Madhya Pradesh 40

मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017
(चयन, प्रबंधन और अन्य)

जैवविविधता विरासत स्थल की स्थापना संबंधी वैधानिक प्रावधान

(जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत)

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रावधान

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–37 अनुसार जैवविविधता विरासतीय स्थल के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :

धारा–37 (जैव विविधता विरासतीय स्थल)

1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, समय–समय पर स्थानीय निकाय के परामर्श से राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन जैव विविधता विरासतीय स्थलों के रूप में जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी।

2) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सभी विरासतीय स्थलों के प्रबंध और संरक्षण विरचित करेगी।

3) राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रतिकर या पुनर्स्थापन के लिये योजनायें विरचित करेगी।

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के अंतर्गत प्रावधान

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम– 22 अनुसार जैवविविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबंधन के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :

नियम–22 (जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबंधन)

1) बोर्ड, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख भागीदारों के परामर्श से महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सुगम बनाने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा। बोर्ड की सिफारिशों का अनुसरण करते हुये तथा केन्द्र सरकार से परामर्श के पश्चात राज्य सरकार इस प्रभाव की अधिसूचना जारी करेगी।

2) बोर्ड, विरासत स्थानों के चयन प्रबंधन तथा अन्य पक्षों पर मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हुये विरचित करेगा कि इसमें संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिये विनिश्चिय लेने की व्यवस्था है।

मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017

(चयन, प्रबंधन और अन्य)

A- चयन

1. पृष्ठभूमि

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उपनियम (1) के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकाय* के परामर्श से जैवविविधता के महत्व के क्षेत्र को, जैवविविधता विरासत स्थलों के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उपनियम (2) के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड जैवविविधता विरासत स्थलों के चयन, प्रबंधन और अन्य पहलुओं पर दिशानिर्देश तैयार करेगा। जिससे कि संबंधित स्थानीय जैवविविधता प्रबंधन समिति के लिए इस संबध में निर्णय लेने की भूमिका सुनिश्चित हो सके।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा जैव विविधता विरासत स्थलों के चयन और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के उपरोक्त प्रावधानों तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड इसके तहत निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है जिसे ''**मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017**'' (चयन, प्रबंधन और अन्य) के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. परिभाषा

ऐसे क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र, अद्धितीय (विशिष्ट) जैवविविधता, जैवविविधता संपन्नता वाले स्थलीय और अन्तः स्थलीय जल क्षेत्र तथा क्षेत्र में निम्न में से एक या अधिक घटक शामिल हों, को ''**जैवविविधता विरासत स्थल**'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

I. जंगली और पालतू अथवा अंतर्विशिष्ट श्रेणियों की प्रजातियाँ, मूल प्रजातियाँ, दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियाँ, कीस्टोन प्रजातियाँ, विकासवादी महत्व की प्रजातियाँ पालतू या खेती की प्रजातियाँ अथवा उनके किस्मों के जंगली पूर्वज, अतीत के जैविक घटक जो कि जीवाश्म में प्रतिनिधित्व करते हैं और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक एवं कलात्मक मूल्य के और सांस्कृतिक विविधता के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनमें कि मानव संबद्धता का अथवा बगैर जुड़ाव का लंबा इतिहास रहा हो या मध्यप्रदेश के सामयिक (स्थानीय) महत्व के ऐसे अन्य समान विशेष क्षेत्र जिसे कि मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जावे।

अन्य सभी उपयोग की गई शब्दावली को जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।

---

* इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, स्थानीय निकायों का मतलब होगा जैवविविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.)

3. जैवविविधता विरासत स्थलों का महत्व और उद्देश्य

I. जैवविविधता पारिस्थितिक सुरक्षा से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसलिए मानव कल्याण से भी जुड़ा है। पारंपरिक रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने और प्रबंधित क्षेत्रों और अन्य जैवविविधता संपन्नता वाले क्षेत्रों में जैवविविधता क्षरण की तीव्रता को रोकने के लिए, ऐसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने अर्थात उन क्षेत्रों का विशेष उपचार व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

ii. क्षेत्रों में अक्सर प्रकृति, संस्कृति, समाज और प्रौद्योगिकी के बीच एक सकारात्मक अंतर्फलक होता है, जिसमें कि संरक्षण और आजीविका के लिए सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है एवं जंगली और पालतू जैवविविधता के बीच सकारात्मक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है।

iii. एक समुदाय में या उसके आस–पास जैवविविधता विरासत स्थल होना उस समुदाय के लिये गर्व और सम्मान की बात होनी चाहिए। समुदाय की भावी पीढ़ी के लिए जैवसंसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित् करने के अलावा समुदाय का यह पवित्र कार्य पूरे देश में एक उदाहरण हो सकता है।

iv. समाज के सभी वर्गों में जैवविविधता संरक्षण हेतु नैतिकता विकसित और पोषित करना आवश्यक है। जैवविविधता विरासत सीलों के सृजन होने से समाज में जैवविविधता संरक्षण के नैतिक मूल्यों को विकसित किया जा सकेगा और इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को समाप्त कर पर्यावरणीय गिरावट को बचाया जा सकता है।...

v. जैवविविधता विरासत स्थलों के सृजन होने से स्थानीय समुदायों की प्रचलित प्रथाओं एवं उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता परंतु उनके द्वारा तय की गई प्रचलित प्रथाओं एवं उपयोगों पर स्थानीय समुदायों की स्वेच्छा से ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैवविविधता संरक्षण उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

4. जैवविविधता विरासत स्थलों की पहचान के मानदण्ड

जैवविविधता विरासत स्थलों की पहचान करने हेतु निम्न लक्षणों को अहर्ता में सम्मिलित किया जा सकता है।

i. उपरोक्त बिन्दु क्र. 2 में उल्लेखित परिभाषा अनुसार जैवविविधता विरासत स्थलों की पहचान की जा सकती है।

ii. प्राकृतिक, अर्ध–प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र जिन पर संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से जीवन के प्रकारों की महत्वपूर्ण विविधता विद्यमान है।

iii. महत्वपूर्ण पालतू जैवविविधता के घटक और/अथवा विशिष्ट पारिस्थितिकी के प्रतिनिधित्व वाले ऐसे क्षेत्र जिसमें कृषि की प्रचलित पद्धतियॉ विद्यमान हो तथा जो उस क्षेत्र में जैवविविधता को बनाये रखती हैं।

iv. जैवविविधता महत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे – पवित्र वृक्ष निकुंज/पेड़ और स्थल या समुदाय द्वारा संरक्षित अन्य क्षेत्र।

v. क्षेत्र जो कि दुर्लभ, संकटापन्न एवं मूल (स्थानिक) जन्तुवर्ग और वनस्पतियों के लिए शरण या गलियारा प्रदान करते हैं, जैसे कि समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र या शहरी हरित क्षेत्र एवं जलमग्न भूमि/दलदल भूमि क्षेत्र।

vi. सभी प्रकार की वैध भूमि का उपयोग जिसमें सरकारी या निजी भूमि क्षेत्र की श्रेणियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

vii. जैसे संभव हो ऐसे क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है जो कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के संशोधन अनुसार संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किए गये हैं।

viii. ऐसे जलीय या स्थलीय रहवास के क्षेत्र जो कि मौसमी प्रवासी प्रजातियों के लिए भोजन एवं प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं।

ix. किसी शासकीय विभाग/शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान शाखा द्वारा स्थापित किए गये संरक्षित भूखण्डों के क्षेत्र।

x. औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्र।

xi. दो संरक्षित क्षेत्रों के बीच के गलियारे में जैविक महत्व के ऐसे क्षेत्र जो कि दोनों संरक्षित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते हैं।

5. जैवविविधता विरासत स्थल की श्रेणियाँ

भूमि के स्वामित्व के आधार पर जैवविविधता विरासत स्थल की दो श्रेणियाँ हो सकती हैं :

i. जैवविविधता विरासत स्थल जो कि शासकीय भूमि एवं जल श्रोत तथा अधिसूचित वन भूमि पर अधिसूचित हो।
ii. जैवविविधता विरासत स्थल जो कि शासकीय भूमि एवं जल श्रोत के अतिरिक्त जगह पर अधिसूचित हो।

6. जैवविविधता विरासत स्थल की चयन एवं घोषणा की प्रक्रिया

a) जैवविविधता विरासत स्थल हेतु प्रस्ताव

i. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड जैवविविधता विरासत स्थल हेतु प्रस्ताव/सुझाव आमंत्रित कर सकता है अथवा समुदायों द्वारा स्वप्रेरणा से जैवविविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से संबंधित शासकीय विभागों एवं संस्थानों जैसे–ग्राम सभा, पंचायत, शहरी वार्ड, वनसुरक्षा समितियों, आदिवासी परिषदों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा परिशिष्ट–1 के अनुसार निर्धारित फार्म में प्रेषित प्रस्तावों पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

ii. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड संबंधित हितधारकों के बीच स्थानीय भाषा में संचार के उचित माध्यमों से जैवविविधता विरासत स्थल के प्रावधानों के संबंध मे व्यापक प्रचार–प्रसार द्वारा क्षेत्र के संभावित जैवविविधता विरासत स्थलों की घोषणा करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है।

b) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड स्तर पर प्रस्तावों की प्रक्रिया

i. स्थानीय निकाय द्वारा या प्राथमिक तौर पर संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा जैवविविधता विरासत स्थल की घोषणा हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करने पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड प्राप्त प्रस्ताव के तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, जिसमें जैवविविधता विरासत स्थल का सीमांकन, क्षेत्र का पूर्व सर्वेक्षण और मानचित्रण एवं प्रतिबंधों की पहचान करना इत्यादि सम्मिलित होंगे, जो कि जैवविविधता विरासत स्थल के प्रबंधन के लिये आवश्यक होंगे।

ii. यदि प्रस्ताव स्थानीय निकायों की अनुशंसा/सहमति के बिना अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के माध्यम से सीधे बोर्ड को प्राप्त होता है, तो बार्ड द्वारा उचित प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

iii. बोर्ड द्वारा प्राप्त सुझावों को संकलित करने के उपरांत संभावित जैवविविधता विरासत स्थलों को सूचीबद्ध किया जावेगा। यह एक सतत प्रक्रिया होगी।

iv. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड उपयुक्त संचार के माध्यमों से हितधारकों के बीच प्रस्तावित जैवविविधता विरासत स्थल के प्रावधानों के संदर्भ में व्यापक प्रचार– प्रसार कर सकता है।

v. समुदायों/व्यक्तियों की स्वामित्व वाली भूमि के विशेष मामले में इच्छुक व्यक्तियों/हितधारकों के सुझावों एवं आपत्तियों को उचित संचार के माध्यमों से प्रचार–प्रसार द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

c) अध्ययन हेतु क्षेत्र दल का गठन

जैवविविधता विरासत स्थल के अध्ययन हेतु क्षेत्र दल का गठन मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा परिशिष्ट–2 के अनुसार किया जावेगा। क्षेत्र दल की भूमिका एवं कार्य निम्नानुसार है :

1) क्षेत्र दल की भूमिका

i. क्षेत्र दल द्वारा सुझावों एवं आपत्तियों के आधार पर प्रस्तावित जैवविविधता स्थल की स्पष्ट समझ हेतु क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है।

ii. क्षेत्र दल द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी गुणों/दोषों के आधार पर समीक्षा की जावेगी।

iii. क्षेत्र दल द्वारा यह भी देखा जावेगा कि जैवविविधता विरासत स्थल की घोषणा से सीानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकार एवं विशेषाधिकार न्यूनतम प्रभावित होंगे ।

2) क्षेत्र दल के कार्य

i. बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा में क्षेत्र दल द्वारा व्यवसाय, लिंग या सामाजिक स्तर के भेदभाव के बगैर समुदाय से परामर्श कर अध्ययन किया जावेगा। इस तरह के अध्ययन में वन निवासियों, किसानों और ग्रामीणों समुदाय(समुदायों) और/या अन्य प्रासंगिक व्यवसाय जैसे समूहों ो परामर्श में शामिल करना चाहिए। क्षेत्र दल द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर अध्ययन के लिए समुदाय आधारित लोक जैवविविधता पंजी (पी.बी.आर), ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन (पी.आर.ए.), सहभागिता मानचित्रण और अन्य संभावित व्यवस्था जिसे संबंधित समुदायों द्वारा उपयुक्त समझा जाये, का उपयोग किया जावेगा। अध्ययन कार्य को उपयुक्त बनाने हेतु राज्य के समस्त विभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जावेगा, जिसमें उनसे संबंधित प्रासंगिक जानकारी, नक्शे और अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

इस अध्ययन में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जा सकता है :

1) भूमि/जल निकायों के स्वामित्व/अधिकारों के इतिहास के साथ सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर), प्रशासनिक नियंत्रण, भूमि और संसाधन का उपयोग।
2) भूमि स्वामित्व की वर्तमान स्थिति, पहुंच की स्थिति एवं अवधि/सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर) का अधिकार, भूमि/जंगल पर विवादित दावे, यदि कोई हो, भूमि और संसाधनों का उपयोग पैटर्न (जैवविविधता आधारित आजीविका सहित), कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण, अधिकार और उत्तरदायित्व।
3) सामुदायिक संरचना, लक्षण, संसाधनों पर सामाजिक–आर्थिक एवं लिंग विभेदित निर्भरता, सामाजिक – आर्थिक और जनसांख्यिकीय रूपरेखा।
4) प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा संस्थान, उनकी विशेषताऐं एवं नियम और विनियम तथा महिलाओं सहित हाशिए वाले वर्गों की निर्णय लेने की पहुंच।
5) क्षेत्र का पारिस्थितिकीय रूपरेखा, महत्वपूर्ण वन्य प्राणी और कृषि जैवविविधता मूल्य एवं जैवविविधता पर खतरे और दबाव, यदि काई हो।
6) क्षेत्र का उपयोग गलियारे के रूप में या ज़ंगली जानवरों के लिए सुरक्षित शरण का क्षेत्र या वन्य प्राणी के लिए किसी अन्य उपयोग हेतु।
7) समुदायों के सांस्कृतिक (कृषि सहित) व्यवहार जो कि जैवविविधता को प्रभावित (चाहे वह सकारात्मक या नकारात्मक हो) करते हैं।
8) क्षेत्र में आजीविका की संभावनायें (संसाधन उपयोग से, समुदाय आधारित परिस्थितिकी पर्यटन – इकोटूरिज्म आदि)।
9) यदि काई प्रतिबंध लोगों और जैवविविधता पर हो तो उसका प्रभाव, लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए संभावित विकल्प, शमन के उपाय एवं जैवविविधता का पुनर्वास।
10) क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्थल अधिसूचित करने के पश्चात परिस्थितिकी पर्यटन (इकोटूरिज्म) की संभावनाएं।
11) प्रस्तावित स्थल के संरक्षण और प्रबंधन के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वर्तमान योजनाएं एवं उनका विभागों की योजना के साथ अभिसरण की संभावनाएं।
12) क्षेत्र में कोई भी प्रचलित या प्रस्तावित विकास संबंधी परियोजना।

ii. मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड में जैवविविधता विरासत स्थल से संबंधित बैठक में संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित के रूप में भाग ले सकते हैं। यदि तकनीकी–प्रबंधकीय आधार पर आवश्यक हो तो क्षेत्र दल के सदस्यों को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

iii. प्रारंभिक अधिसूचना प्रारूप के प्रकाशन दिनांक से 60 दिनों के भीतर टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों को आमंत्रित किया जायेगा।

iv. जैवविविधता स्थल की घोषणा/स्थापना के लिए अंतिम अधिसूचना से पूर्व, निर्धारित समय के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों पर मानक प्रक्रिया के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा विचार किया जावेगा।

v. जैवविविधता विरासत स्थल के प्रस्ताव पर एवं क्षेत्र दल की रिपोर्ट पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड/या बोर्ड द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के अधिकारी/या बोर्ड द्वारा अधिकृत गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

vi. जैवविविधता विरासत स्थल घोषित करने हेतु अंतिम अधिसूचना का प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा सकता है।

vii. जैवविविधता विरासत स्थल की स्थापना/अधिसूचना के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चैन्नई से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड परामर्श करेगा।

viii. राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के तहत जैवविविधता विरासत स्थल घोषित करने हेतु अंतिम अधिसूचना को अधिसूचित किया जा सकेगा।

B. निगरानी और प्रबंधन

1. जैवविविधता विरासत स्थल हेतु समिति का गठन

a) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता विरासत स्थल की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन इन दिशानिर्देशों में संलग्न परिशिष्ट–3 के अनुसार किया जावेगा।

b) जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता विरासत स्थल की निगरानी के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति का गठन इन दिशानिर्देशों में संलग्न परिशिष्ट–4 के अनुसार किया जावेगा।

2. जैवविविधता विरासत स्थल का प्रबंधन

सरकारी भूमि एवं जल निकायों पर अधिसूचित जैवविविधता विरासत स्थल के प्रबंधन, संरचना एवं संसाधनों के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा निर्धारण एवं प्रबंध मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के परामर्श एवं अनुमोदन से किया जावेगा लेकिन संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति के अभिमतों को जहां भी आवश्यक हो शामिल किया जावेगा। गैर सरकारी भूमि और जल निकायों पर अधिसूचित जैवविविधता विरासत सीलों का निर्धारण एवं प्रबंध संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति/स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा। यदि जैवविविधता विरासत स्थल का क्षेत्र एक से अधिक जैवविविधता प्रबंधन समिति/स्थानीय निकाय के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है तो उस जैवविविधता विरासत स्थल के प्रबंधन के लिए संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समितियों/स्थानीय निकायों के अध्यक्षों एवं सचिवों की संयुक्त जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन समिति गठित की जावेगी।

a) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की भूमिका

i. जैवविविधता प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु एवं जिला अनुश्रवण एवं प्रबंधन समिति को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड परामर्शदाता / सलाहकार को नियुक्त या सेवायें प्राप्त कर सकता है।

ii. जैवविविधता विरासत स्थल की जैवविविधता प्रबंधन समिति / जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति को जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सहायता प्रदान की जावेगी। (यदि संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति / जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति द्वारा अनुरोध किया जाए)।

iii. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में सहयोग एवं सुविधा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत सहयोगी विभागों की योजनाओं में जैवविविधता संरक्षण को मुख्यधारा के रूप में शामिल करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैव जैवविविधता बोर्ड द्वारा उन विभागों को निर्देशित किया जाना है।

iv. जैवविविधता के लिए हानिकारक प्रथाओं का उन्मूलन करने और जैवविविधता संरक्षण में समुदायों को पूरी तरह से सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा संबंधित सहयोगी विभागों, जैवविविधता प्रबंधन समितियों, जैवविविधता विरासत स्थल की जिला अनुश्रवण एवं प्रबंधन समिति तथा अन्य हितधारकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम (संगोष्ठी / कार्यशालाएं / जागरुकता कार्यक्रम) का आयोजन करेगा।

v. जैवविविधता विरासत स्थल की प्रबंधन योजना प्राप्त होने पर योजना के मूल्यांकन हेतु मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित कर सकता है। आवश्यक होने पर समिति या समिति के सदस्य जैवविविधता विरासत स्थल पर जा सकते हैं।

vi. जैवविविधता विरासत स्थल के महत्व और स्थिति को सुनिश्चित करने हेतु लोकप्रिय संचार माध्यम, कार्यशालाओं, ब्रोशर, इत्यादि के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड पर्याप्त और संवेदनशील सार्वजनिक दृश्यता सुनिश्चित करेगा।

vii. जैवविविधता विरासत स्थल से संबंधित गैर शासकीय संगठन, जैवविविधता प्रबंधन समिति / अन्य संस्थानों के प्रबंधन, सहयोगी विभागों के अधिकारीगण, शैक्षिक संस्थानों, विशेषज्ञों आदि के हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एक राज्य स्तरीय वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चैन्नई को प्रेषित किया जा सकेगा।

b) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की भूमिका

i. राज्य सरकार को भेजे जाने वाले अंतिम अधिसूचना प्रस्ताव के प्रारूप को अंतिम रूप देना।

ii. जिला स्तर की अनुश्रवण और प्रबंधन समिति एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति के प्रतिवेदन / अभिमत / अनुशंसाओं के आधार पर, जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना की समय–समय पर समीक्षा और प्रबंध योजना को उचित रूप से संशोधित करना।

iii. जब भी आवश्यकता हो, समिति किसी भी व्यक्ति / विशेषज्ञों का सह चुनाव या उनकी सहायता प्राप्त कर सकती है।

iv. जैवविविधता विरासत स्थल की प्रबंधन योजना की उपलब्धियों एवं सुधार हेतु अनुशंसाओं के संबंध में प्रतिवेदन, समिति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रस्तुत किया जावेगा।

c) जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति की भूमिका

i. जैवविविधता विरासत स्थल की निगरानी एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति की होगी।

ii. तकनीकी / प्रबंधकीय / वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जैवविविधता विरासत स्थल के लिए अल्पावधि (वार्षिक) और दीर्धकालिक (10 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना) प्रबंधन योजना तैयार करने और लागू करने एवं इस संबध में जैवविविधता प्रबंधन समिति को सहयोग प्रदान करने की जबावदारी जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति की होगी।

d) जैवविविधता प्रबंधन समिति की भूमिका

i. प्रत्येक जैवविविधता विरासत स्थल की देखभाल उस क्षेत्र की जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा की जा सकती है। यदि जैवविविधता विरासत स्थल का क्षेत्र एक से अधिक जैवविविधता प्रबंधन समितियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो जैवविविधता प्रबंधन समिति उस क्षेत्र का ध्यान रख सकती है जो उसके क्षेत्राधिकार में आता है।

ii. जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति की देखरेख एवं मार्गदर्शन में जैवविविधता प्रबंधन समिति अपने क्षेत्र के जैवविविधता विरासत स्थल के लिए अल्पावधि (वार्षिक) और दीर्धकालिक (10 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना) प्रबंधन योजना तैयार एवं लागू कर सकती है। योजना का निष्पादन तकनीकी / प्रबंधकीय / वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगा।

3. जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना के घटक

जैवविविधता विरासत स्थल की प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु जैवविविधता विरासत स्थल से संबंधित घटकों के संबंध में ध्यान देने योग्य निर्धारित सामान्य मुद्दे एवं बिंदुओं का उल्लेख परिशिष्ट–5 में किया गया है।

4. अनुमोदन

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता प्राप्त करने के पश्चात एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति / संबंधित विभाग / जैवविविधता प्रबंधन समिति (समितियों) की अनुशंसा पर सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंध योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

जैवविविधता विरासत स्थल की घोषणा के लिए प्रस्ताव (जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत)
(वन्यप्राणी अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यानों के बाहर के स्थान के लिए)

1.	**स्थल की पहचान**	
a	राज्य	
b	जिला	
c	नाम	
d	सही स्थान (कृपया जीपीएस कॉर्डिनेट के साथ मानचित्र संलग्न करें)	
e	प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा को दिखाने वाला मानचित्र/योजना	
f	घोषणा के लिए प्रस्तावित साइट का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
g	प्रस्तावित स्थल के स्वामित्व की स्थिति	
2	**घोषणा के लिए औचित्य**	
a	प्रस्तावित स्थल का महत्व क्या है ?	
b	घोषणा क्यों प्रस्तावित है ? औचित्य देवें	
c	खतरे, यदि कोई हो तो (विवरण देवें)	
3	**विवरण**	
a	संरक्षण की वर्तमान स्थिति	
4	**प्रबंधन**	
a	स्वामित्व	
b	वैधानिक स्थिति	
c	घोषणा के पश्चात स्थल के प्रबंधन के लिए एजेंसी	
d	संपर्क के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	
e	विशेषज्ञता का श्रोत	
5	**स्थल को प्रभावित करने वाले कारक**	
a	स्थल पर जैविक और अन्य दबाव (चराई,अतिक्रमण, पर्यटन आदि)	
b	**अन्य दबाव**	
6	**दस्तावेजीकरण**	
a	फोटो (यदि उपलब्ध हो तो प्रेषित करें)	
b	मौजूदा स्थल की प्रबंधन योजनायें (यदि कोई हों तो)	
7	**अन्य संबंधित हितधारकों की राय**	
8	**स्थल पर यदि काई विवाद हो तो (विवरण देवें)**	
9	**सामान्य टिप्पणियां, यदि कोई हों तो**	

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर एवं मोहर
नाम :
पता :
फोन नंबर एवं ईमेल :

परिशिष्ट–2

क्षेत्र दल का गठन

क्षेत्र दल में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य शामिल हो सकते हैं (12 सदस्यों से अधिक नहीं) :

1) सभी समुदायों के सामाजिक–आर्थिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले जानकार व्यक्ति जो कि संबंधित सीानीय निकाय / संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामांकित हो।

2) पारिस्थितिकी / संरक्षण, सामाजिक (लिंग, आजीविका आदि) कृषि, वानिकी आदि सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत संस्था / संगठन / व्यक्तियों के प्रतिनिधिगण।

3) प्रस्तावित जैवविविधता विरासत स्थल के समीपस्थ कृषि, वन या अन्य संबंधित विभागों (जहां उपयुक्त और संभव हो) के क्षेत्रीय अनुसंधान विभाग के प्रतिनिधिगण।

4) प्रस्तावित जैवविविधता विरासत स्थल के समीपस्थ शैक्षणिक / अनुसंधान संस्थान के जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान) के विशेषज्ञगण।

5) क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ।

6) संबंधित सहयोगी विभागों (राजस्व, वन, पंचायत, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी, आदि) के स्थानीय / क्षेत्रीय प्रतिनिधिगण (मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड / संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामांकित)।

7) जैवविविधता प्रबंधन समिति से एक स्थानीय समन्वयक (मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड / जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामांकित)।

8) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि (राज्य स्तरीय समन्वयक के रूप में)।

परिशिष्ट–3

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य शामिल हो सकते हैं (12 सदस्यों से अधिक नहीं) :–

जंगली और पालतू जैवविविधता के संरक्षण एवं सामाजिक–आर्थिक पहलुओं के क्षेत्र से संबंधित जानकार व्यक्तियों का समिति के सदस्यों के रूप में चयन निम्नलिखित श्रेणियों में से किया जा सकता है :–

1) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य सकते हैं।

2) संबंधित सहयोगी विभागों (कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी, राजस्व एवं वन विभाग) के प्रतिनिधिगण।

3) वानिकी / वन्यप्राणी / कृषि जैवविविधता / जलीय कृषि प्रबंधन / या जैवविविधता विरासत स्थल से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव वाले विशेषज्ञगण।

4) विश्वविद्यालय / शैक्षिक / अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञगण।

5) संबंधित जैवविविधता विरासत स्थल के स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधिगण (स्थानीय निकाय / जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामांकित)

इस समिति का कार्यकाल तीन साल का हो सकता है।

परिशिष्ट–4

जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति

जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य शामिल हो सकते हैं (12 सदस्यों से अधिक नहीं) :–

जंगली और पालतू जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र के जानकार व्यक्ति, सभी वर्गों के स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधिगण जो कि विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर हैं तथा उन क्षेत्रों को पारंपरिक रूप से संरक्षित कर रहे हैं एवं सामाजिक–आर्थिक पहलुओं से संबंधित व्यक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों से समिति सदस्यों के रूप में चयन किया जा सकता है।

1) जिले के कलेक्टर, जिला स्तरीय अनुश्रवण और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं।

2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समिति के सह–अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं।

3) वनमंडालाधिकारी (क्षेत्रीय), वन विभाग, समिति के समन्वयक / नोडल के रूप में कार्य कर सकते हैं।

4) संबंधित सहयोगी विभागों (कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी) के प्रतिनिधिगण।

5) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन(वानिकी / वन्यजीव / कृषि जैवविविधता / जलीय कृषि प्रबंधन) क्षेत्र में या संबंधित जैवविविधता विरासत स्थल के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले विशेषज्ञगण।

6) स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधिगण (स्थानीय निकाय / जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामांकित)।

7) जैवविविधता प्रबंधन समिति / या स्थानीय निकाय से संबंधित स्थानीय संस्थानों (यदि उस क्षेत्र में जैवविविधता प्रबंधन समिति मौजूद नहीं हैं) के प्रतिनिधिगण। (स्थानीय निकाय / जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामांकित)।

8) संबंधित स्थानीय निकाय / पंचायत के प्रतिनिधिगण (स्थानीय निकाय / जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा नामांकित)। इस समिति का कार्यकाल तीन साल का हो सकता है।

परिशिष्ट–5

जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना के घटक

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति और विभागों को प्रत्येक जैवविविधता विरासत स्थल की प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगा।

जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना में निम्नलिखित सामान्य मुद्दे / बिन्दु सम्मिलित किए जाएंगे :–

a) क्षेत्र

1) अधिसूचित की गई स्पष्ट प्रशासनिक सीमाओं के साथ जैवविविधता विरासत स्थल का मानचित्र ए
2) क्षेत्र की स्थिति (स्वामित्व)
3) वर्तमान भूमि का उपयोग का तरीका, संरक्षण संबंधित गतिविधियां एवं आस्था।
4) क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की निर्भरता।
5) क्षेत्र में प्रमुख जैवविविधता क्षेत्रों की स्थिति। (स्थानीय, संकटग्रस्त एवं विलुप्तप्रायः या विलुप्त होने की कगार पर कमजोर प्रजातियों की स्थिति)।
6) क्षेत्र में वन्य प्राणी की स्थिति। (चाहे सर्दियों के दौरान पक्षियों का जलप्रवास आश्रय,पानी के पक्षियों के लिए प्रजनन स्थान या वन्य प्राणी के लिए गलियारा)।
7) क्षेत्र की वनस्पति, जीव और प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाणिक डेटा।
8) क्षेत्र में विकास की गतिविधियां (क्षेत्र में किसी भी सरकारी / अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के तहत कोई भी प्रचलित या प्रस्तावित परियोजनाएं), सरकार या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित परियोजना / गतिविधियां जिसका

जैवविविधता विरासत स्थल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जिससे बचा जा सकता हो।

9) यदि जैवविविधता विरासत स्थल को कोई खतरा हो एवं वर्तमान में क्षेत्र का सामर्थ्य।

b) संरक्षण के मुद्दे

1) प्रस्तावित जैवविविधता स्थल क्षेत्र में मौजूदा संरक्षण संबंधित प्रबंधन प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है और उन प्रथाओं को जैवविविधता प्रबंधन योजना के लिये स्वीकार किया जा सकता है।

2) प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जैवविविधता संरक्षण एवं आजीविका को बेहतर करने के संबंध में सीानीय समुदायों के सुझाव, यदि कोई हो तो।

3) पिछले 10 वर्षों के दौरान जैवसंसाधनों के उपयोग के तरीकों में कोई बदलाव हुआ हो, तो ऐसे बदलाव के कारण।

4) स्थानीय समुदायों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जैवसंसाधनों के प्रकार और मात्रा, उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था में भूमिका/महत्व एवं साथ ही समुदाय की औसत आय उन स्थितियों में जहाँ उन्हें विपणन किया जाता है ।

5) सामान्यतः प्रस्तावित जैवविविधता विरासत स्थल में जैवसंसाधानों के मौजूदा उपयोग पर समुदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो संसाधानों के विनियमन के रूप में उपयोग पर कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

6) सरकारी वन क्षेत्रों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों पर जैवविविधता विरासत स्थल अधिसूचित किए जाने पर उस स्थल की प्रबंधन व्यवस्था और संसाधनों का उपयोग राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

7) स्थानीय समुदाय की आजीविका बढ़ाने के लिए जैवसंसाधनों के संरक्षण और संवहनीय उपयोग के लिए प्रबंधकीय उपचार पृथक से होगा।

8) प्रबंधन योजना की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि समुदायों द्वारा किए जा रहे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के तरीकों को रोकता हो। यदि जैवविविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन के लिए समुदाय द्वारा अन्य स्थायी प्रयास किए जा रहे हैं और उनके पास पर्याप्त साधन हैं तो इस स्थिति में प्रबंधन योजना तैयार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होना चाहिए। कई परिस्थितियों में समुदाय तत्काल में या जल्दी में इस तरह की प्रबंधन योजना तैयार करने की स्थिति में नहीं होते हैं, जो कि उस क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में स्वीकार नहीं करने का कारण नहीं होना चाहिए।

9) जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना को जिला स्तर की नियोजन प्रक्रिया में भी एकीकृत किया जा सकता है। जिससे कि संबंधित सहयोगी विभागों द्वारा उपयुक्त सुविधा और वित्त पोषण के सहयोग से जैवविविधता संरक्षण को मुख्य धारा में लाया जा सके।

c) अवधि

1) जैवविविधता विरासत स्थल की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी होने के छः माह के भीतर जैवविविधता विरासत स्थल प्रबंधन योजना का संपूर्ण लेखन/तैयार किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक जैवविविधता विरासत सलि के लिए प्रबंधन योजना की अवधि सामान्यतः दस वर्षों की होगी।

d) बजट

1) जैवविविधता विरासत स्थल के प्रबंधन के लिए वित्तीय आवश्यकता को स्थानीय निकाय (निकायों)/संबंधित विभागों के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकता है।

2) जैवविविधता विरासत स्थल अधिसूचित होने के पश्चात जैवविविधता विरासत स्थल की स्थापना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चैन्नई मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता का आवंटन कर सकता है।

3) जैवविविधता विरासत स्थल के अधिसूचित होने के पश्चात प्रत्येक जैवविविधता विरासत स्थल के लिए राज्य सरकार पर्याप्त बीज धन के रूप में वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के माध्यम से आवंटित कर सकता है।

4) सभी शासकीय योजनाओं एवं अन्य वित्तीय श्रोत से जैवविविधता विरासत स्थल के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जैवविविधता प्रबंधन समिति या अन्य संस्थान को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड से प्राधिकृत निकाय के रूप में वैध मान्यता प्राप्त होगी।

5) जैवविविधता प्रबंधन समिति या अन्य संस्थान को राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संधारित बचत खाते में मौजूदा/नवीन ब्याज की सभी राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। उल्लेखित संस्थाओं के द्वारा जैवविविधता विरासत स्थल के प्रबंधन के लिए संधारित बचत खातों का स्थानीय निकायों के समान ही नियमानुसार वार्षिक लेखा परीक्षण किया जाएगा।

e) निष्कर्ष

1) पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को जैवविविधता विरासत स्थल की प्रबंधन योजना में शामिल किया जाएगा।

Madhya Pradesh Biodiversity Heritage Site Guidelines, 2017
(Selection, Management and Others)

Legal Provision for Establishment of Biodiversity Heritage Site

(Under Biological diversity Act, 2002 and Madhya Pradesh Biodiversity Rules, 2004)

Provisions under Biological Diversity Act, 2002

Provisions for Biodiversity Heritage Sites under section- 37 of Biological Diversity Act, 2002 are as follows:

Section-37
(Biodiversity Heritage Sites)

1) Without prejudice to any other law for the time being in force, the State Government may, from time to time in consultation with the local bodies, notify in the Official Gazette, areas of biodiversity importance as biodiversity heritage sites under this Act.
2) The State Government, in consultation with the Central Government, may frame rules for the management and conservation of all the heritage sites.
3) The State Government shall frame schemes for compensating or rehabilitating any person or section of people economically affected by such notification.

Madhya Pradesh Biological Rules, 2004

Provisions for **Establishment and Management of Biodiversity Heritage Site** under Rule-22 of Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004 are as follows:

Rule -22
(Establishment and Management of Biodiversity Heritage Site)

1) The Board shall, in consultation with the local bodies and other key stakeholders, take necessary steps to facilitate setting up of areas of significant biodiversity values as Heritage Sites. Following recommendation from the Board and after consultation with the Central Government, the State Government shall issue notification to this effect.

2) The Board shall frame guidelines on the selection, management and other aspects of Heritage Sites, ensuring that these provide decision-making role for relevant Biodiversity Management Committees.

Madhya Pradesh Biodiversity Heritage Site Guidelines, 2017

(Selection, Management and Others)

A. Selection

1. Background

Under Section 37 of Biological Diversity Act, 2002 (BDA) and sub rule (1) of Rule 22 of Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, (M.P. Rules, 2004), the State Government in consultation with local bodies* may notify in the official gazette, areas of biodiversity importance as Biodiversity Heritage Sites (BHS).

Under sub rule (2) of Rule 22 of M.P. Rules, 2004, the Board shall frame guidelines on the selection, management and other aspects of heritage Sites, ensuring that these provide decision making role for relevant Biodiversity Management Committee (BMC).

Considering the provisions under section 37 of BDA, 2002, the National Biodiversity Authority, Chennai (NBA) issued the Guidelines for Selection and Management of the Biodiversity Heritage Sites.

Considering the above provisions of the BDA, 2002 and M.P. Rules, 2004 and in the framework of Guidelines issued by NBA, the M.P. State Biodiversity Board hereby issues the following guidelines hereinafter referred to as "Madhya Pradesh Biodiversity Heritage Site Guidelines, 2017" (Selection, Management and Others).

2. Definition

"Biodiversity Heritage Sites" (BHS) are defined areas that are unique, ecologically fragile ecosystems – terrestrial and inland waters having rich biodiversity comprising of any one or more of the following components:

i. richness of wild as well as domesticated species or intra-specific categories, high endemism, presence of rare and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance, wild ancestors of domestic/cultivated species or their varieties, past pre-eminence of biological components represented by fossil beds and having significant cultural, ethical or aesthetic values and are important for the maintenance of cultural diversity, with or without a long history of human association with them or other similar areas of topical interest specific to Madhya Pradesh (M.P.) as deemed suitable by MPSBB.

All other terms used are as defined in Section 2 of the Biological Diversity Act (2002).

**For the purpose of these Guidelines, local bodies shall mean BMCs.*

3. Significance and Objectives of Biodiversity Heritage Sites

i. Biodiversity is closely linked to ecological security of area and therefore, human welfare. To strengthen the biodiversity conservation in traditionally managed areas and to stop the rapid loss of biodiversity in intensively managed areas and other biodiversity rich areas, such areas need special attention, i.e. special set of treatments are needed.

ii. Such areas also often represent a positive interface between nature, culture, society, and technologies, such that both conservation and livelihood security can be achieved, and positive links between wild and domesticated biodiversity may be strengthened.

iii. To have a Biodiversity Heritage Sites in or around a community should be a matter of pride and honor to such community and this virtuous act of community may work as an example to the entire nation apart from ensuring availability of the bio-resources to their own future generation.

iv. It is necessary to instill and nurture biodiversity conservation ethics in all sections of the society. The creation of Biodiversity Heritage Sites will ensure bringing home these values in the society and thereby put an end to over-exploitation of natural resources and avoid environmental degradation.

v. The creation of Biodiversity Heritage Sites may not put any restriction on the prevailing practices and uses of the local communities, other than those voluntarily decided by them. The purpose is to enhance the quality of life of the local communities through this biodiversity conservation measure.

4. Criteria for Identification of Biodiversity Heritage Sites

The following characteristics may qualify for inclusion as BHS:

i. Areas for the BHS may be identified in accordance with the definition in (2) above.

ii. Areas that contain natural, semi-natural or manmade habitats, which either jointly or independently contain a significant diversity of life forms.

iii. Areas that contain significant domesticated biodiversity component and /or represent typical ecosystems with ongoing agricultural practices that sustain this diversity.

iv. Areas that are significant from a biodiversity point of view as also are important cultural spaces such as sacred groves/trees and sites, or other large community conserved areas.

v. Areas including very small ones that offer refuge or corridors for threatened and endemic fauna and flora, such as community conserved areas or urban greens and wetlands.

vi. All kinds of legal land uses whether government or private land could be considered under the above categories.

vii. As far as possible those sites may be considered which are not covered under Protected Area network under the Wildlife Protection Act 1972 as amended.

viii. Areas that provide aquatic or terrestrial habitats for seasonal migrant species for feeding and breeding.

ix. Areas that are maintained as preservation plots by the research wing of any government department/ educational and research institutions.

x. Areas of Medicinal Plant Conservation.

xi. Areas of biological importance which may serve the purpose of stepping stone in the Corridor between two protected areas.

5. Categories of Biodiversity Heritage Sites

BHS shall have two categories based on the ownership of the land:

i. BHS notified on Government land and Water bodies including notified forest lands

ii. BHS notified on other than Government land and water bodies

6. Procedure for Identification and Declaration of Biodiversity Heritage Sites

a) Proposals for BHS

i. M.P. State Biodiversity Board (MPSBB) may invite proposals / suggestions or consider proposal submitted to the Board suo moto from communities for declaration of BHSs, through BMCs and other relevant Government Department and Institutions including Gram Sabhas, Panchayats, urban wards, forest protection committees, tribal councils and NGOs in prescribed form given in Annexure- 1

ii. MPSBB may invite proposals through widespread dissemination of information related to the possible BHS among the stakeholders regarding the provision of BHSs, through appropriate means of communication in local language.

b) Process of Proposals at MP State Biodiversity Board Level

i. Once the proposal is recommended by the relevant local bodies preferably BMCs, the MPSBB may initiate the technical processing of the proposal including- specifying the boundaries of the BHS, prior surveying and mapping, identifying the restrictions, etc. required for management of the BHS.

ii. If the proposal is received directly to board through other individuals and institutions

without recommendation / consent of local bodies, the Board shall initiate proper processing.

iii. After consolidating the suggestions received, the MPSBB shall come up with a list of potential areas, which can be designated as BHS. This will be an ongoing process.

iv. MPSBB may undertake widespread dissemination of information related to the proposed BHS among the stakeholders regarding the provision of BHSs, through appropriate means of communication.

v. Suggestions and objections from interested persons/ stakeholders particularly in case of lands owned by communities and individuals may be invited through due publicity using appropriate media.

c) Constitution of Field Team for Study

The Field Team for Study of BHS shall be constituted by MPSBB, as prescribed in **Annexure- 2**. The role and functions of the team are as follows:

1) Role of Field Team

i. Based on the suggestions and objections raised, a team may conduct studies to gain a clear understanding of the proposed BHS.

ii. The team shall review technical merits / demerits of the proposals.

iii. The team will also see that by declaring the BHS, the traditional rights and privileges of the local communities will be least affected.

2) Functions of Field Team

I. The field team will conduct a study within the time frame stipulated by the Board in consultation with the concerned community irrespective of occupation, gender or social strata. Such consultations should inevitably include groups such as forest dwellers, farmers and pastoral community (ies) and / or other relevant occupations. The study on the following aspects needs to be carried out with the use of community-based People's Biodiversity Registers (PBRs), Participatory Rural Appraisal (PRA), participatory mapping, and other possible tools that are considered appropriate by the concerned communities. All state departments are to ensure that they cooperate in this exercise through providing the relevant information, maps, and other documents that would enhance the productivity of the exercise.

The study may include following aspects:

1) History of land/water bodies ownership/rights, including Common Property Resources (CPRs), administrative control, and land and resource use.

2) Current status of land ownership, tenurial status of and access/ rights to CPRs, disputed claims over land/ forests, if any, land and resource use pattern (including biodiversity-based livelihoods), legal and administrative control, rights and responsibilities.
3) Community composition, character, socio-economic and gender differentiated dependence on the resources, socio- economic and demographic profile.
4) Existing institutions, their characteristics, rules and regulations governing natural resources, and access to decision making by marginalized sections including women.
5) Ecological profile of the area, critical wildlife and agricultural biodiversity values, and threats and pressures to the biological diversity, if any.
6) Use of the area as the corridor or safe refuge for the wild animals or any other use for the wildlife.
7) Cultural (including agricultural) practices followed by the communities affecting the biodiversity (whether positively or negatively).
8) Scope of livelihood generation (including from resource use, community-based ecotourism, etc) in the area.
9) Impacts of restrictions, if any, on people and on the biodiversity, and probable option to compensate people, mitigation measures and rehabilitate biodiversity
10) Possibilities of eco-tourism after area will be notified as BHS.
11) Possibilities of convergence with the existing plan and schemes of departments funded by central or state government related with conservation and management of the proposed site.
12) Any Ongoing or proposed Developmental project in the area.

ii. Report of the study may be submitted by the field team / BMCs to MPSBB along with the recommendations for declaring the BHS, after stakeholders' consultation.

d) Final decision and Notification

i. The MPSBB shall review the document submitted by BMCs and field team report.
ii. The concerned representatives of BMC may participate in MPSBB BHS meeting as special invitee. The member(s) of field team may also be invited, if SBB find it necessary on techno-managerial grounds.
iii. The comments / suggestions / objections on the draft of initial notification will be invited within 60 days from the date of publication of the initial notification.
iv. The comments / suggestions / objections on the draft of initial notification received within stipulated time will be considered by MPSBB before final notification for declaration/ establishment of BHS as per standard procedure.
v. Final decision on the proposal of BHS may be made by MPSBB/ or officer of MPSBB authorized by Board / or constituted Committee authorized by the Board by considering proposal and field team report.
vi. Draft of final notification for declaring the BHS may be submitted to state government by MPSBB.
vii. The MPSBB shall consult the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), New Delhi / National Biodiversity Authority (NBA), Chennai for creation/ notification of the BHS.
viii. Final notification of BHS shall be notified by the State Government according to M.P. Biodiversity Rule 2004 of Rule 22 (1).

B. Monitoring and Management

1. Formation of Committee for Biodiversity Heritage Site

a) State Level Monitoring Committee

The State Level Monitoring Committee for Monitoring of BHS shall be constituted by MPSBB as prescribed in Annexure- 3 appended to these Guidelines.

b) District Level Monitoring and Management Committee

The District Level Monitoring and Management Committee for Monitoring and Management of BHS shall be constituted by MPSBB as prescribed in Annexure- 4 appended to these Guidelines.

2. Management of BHS

The management, structure and utilization of resources for BHS notified on Government lands and water bodies will be determined and managed by the concerned departments of the State Government in consultation and approvals from MPSBB, but concerned BMCs views need to be incorporated wherever necessary. BHS notified on non Government lands and water bodies will be determined and managed by respective BMCs/Local bodies.

If a BHS falls in more than one BMC/Local Body then the concerned BMCs/Local Bodies shall constitute a composite BHS management committee with a chairman and Secretary to manage the BHS.

a) Role of MP State Biodiversity Board

I. The MPSBB may appoint or acquire services of consultant to prepare BHS Management Plan and provide technical support to District Monitoring and Management Committee.

ii. The MPSBB will help BMCs / District level Management and Monitoring Committee of BHS to prepare management plan (if requested by BMC/ District Committee of BHS).

iii. The MPSBB will assist and facilitate the BHS implementation of the management plan. Such facilitation may include directions to line departments for mainstreaming biodiversity conservation in their plans/schemes.

iv. The MPSBB may organize orientation programmes (Seminar / Workshops / Awareness programme) for concerned line departments, BMCs, District committee of BHS and other stake holders, to eliminate biodiversity-damaging practices and to fully enable and empower the communities in conserving biodiversity.

v. The MPSBB on receipt of the Management Plan may call meeting of State level Monitoring committee to evaluate the same, if necessary committee or committee member may visit the BHS.

vi. The MPSBB may ensure adequate and sensitive public visibility of the BHSs through popular media, workshops, brochures etc., to ensure consideration of their importance and status

vii. The MPSBB may organize one State level review meeting of all BHSs involving NGOs, BMCs/other institutions managing, officials of line departments, academic institutions, experts etc., annually and may submit the proceedings of the minutes to the Ministry of Environment ,Forests and Climate Change (MoEFCC) New Delhi, Government of India, National Biodiversity Authority (NBA) Chennai and State Government.

b) Role of State Level Monitoring Committee

i. Finalize the draft proposals before the final notification to be sent to State Government.
ii. Periodically review and modify BHS management plan appropriately, based on the report / input/ recommendations of district committee and BMCs.
iii. The committee may co-opt or may get help of any persons/experts as and when required.
iv. The committee shall place its report to MPSBB for achievements of BHS Management Plan and recommendations for its improvement.

c) Role of District Level Monitoring and Management Committee

I) The monitoring and management of the BHS shall be the responsibility of District level Management and Monitoring Committee.
ii) The District level Monitoring and Management Committee shall responsible to assist to BMCs to prepare and implement short term (annual) and long term (10 years perspective plan) management plan for the BHS depending on availability of technical/ managerial/financial resources.

d) Role of Biodiversity Management Committee (BMC)

I. The Biodiversity Management Committee (BMC) may take care of the management of each BHS. Wherever the BHS extends to more than one local body, the BMC may take care of management of that BHS area which comes under their jurisdiction.
ii. The BMCs may prepare and implement short term (annual) and long term (10 years perspective plan) management plan for the BHS under the supervision and guidance of District level Monitoring and Management Committee. The execution of plan shall depend on availability of technical/ managerial/financial resources.

3. Component of BHS Management Plan

The general issues/ points related to BHS components to be considered during preparation of in BHS management plan are as prescribed in Annexure- 5.

4. Approvals

Member Secretary, MPSBB shall approve the management plan of BHS on the recommendation of the District Level Monitoring and Management Committee/concerned department or BMC/s after getting the financial commitment of the State Government.

Madhya Pradesh Biodiversity Heritage Site Guidelines, 2017

Annexures

Annexure - 1

Proposal for Declaration of Biological Heritage Site (BHS)

(Under Biological Diversity Act, 2002)
(For location outside the Wildlife Sanctuaries and National Parks)

1.	**Identification of Site**	
a	State	
b	District/s	
c	Name	
d	Exact location (Please enclose Map with GPS cordinates)	
e	Maps/plans showing boundary of area proposed	
f	Area of site proposed for declaration (ha)	
g	Ownership status of the proposed site	
2	**Justification for Declaration**	
a	What is the significance of the proposed site?	
b	Why the declaration is proposed. Give justification	
c	Threats, if any (give details)	
3	**Description**	
a	Present status of conservation	
4	**Management**	
a	Ownership	
b	Legal status	
c	Agency to manage the site after declaration	
d	Name, designation and address of responsible person for contact	
e	Sources of expertise	
5	**Factors Affecting the Site**	
a	Biotic and other Pressures on the site (Grazing, Encroachment, Tourism etc)	
b	Other Pressures	
6	**Documentation**	
a	Photographs (submit if available)	
b	Existing site management plans, if any	
7	**Opinion of other concerned stakeholders**	
8	**Details of disputes if any on the site (give details)**	
9	**General Remarks, if any**	

Date :
Place :

Signature & Seal
Name **:**
Address
Phone Number and email

Annexure- 2

Constitution of Field Team for Study

The field team member may include from the following categories (Not exceeding 12 individuals).

1) Knowledgeable person representing all socio-economic groups of the concerned communities, nominated by the relevant local bodies/BMC.
2) Representatives from Institution/organization/Persons working on Natural Resource Management including ecology/ conservation, social (gender, livelihood, etc), agriculture, forestry etc.
3) Representatives from Field Research wing of the agriculture, forest or other relevant departments (where appropriate and possible), preferably from the area close to proposed BHS.
4) Experts in Biology (Botany and Zoology departments) preferably from nearest educational/research institute, preferably from the area close to proposed BHS.
5) Subject area experts.
6) Local/field representatives of related line departments (Revenue, forests, Panchayat, Agriculture, Animal Husbandry, Fishery and Horticulture Department, etc) (nominated by MPSBB / BMC).
7) One representative from BMC as local field level coordinators (nominated by MPSBB / BMC).
8) One representative from MPSBB (as state level coordinators).

Annexure- 3

State Level Monitoring Committee

The State level Monitoring Committee may include from the following categories (Not exceeding 12 individuals).

The Committee members may be chosen out of knowledgeable individuals in the field of conservation of wild and domesticated biodiversity and related socio-economic aspects from the following categories:

1) The Member Secretary, MPSBB may act as Chairman of the monitoring committee.
2) Representatives from concerned Line Department (Agriculture, Animal Husbandry, Fishery and Horticulture Department).
3) Representatives from Revenue and Forest Department.
4) Experts having knowledge and experience in the field of forestry/wildlife/agro-biodiversity/ aquaculture management /or in the areas relevant to the particular BHS.
5) Experts from Universities/educational/research institutions.
6) Representatives of local community of concerned BHS (nominated by local body/BMC).

The tenure of this Committee may be three years.

Annexure- 4

District Level Monitoring and Management Committee

The District level Monitoring and Management Committee may include from the following categories (Not exceeding 12 individuals).

The Committee members may be chosen out of knowledgeable individuals in the field of conservation of wild and domesticated biodiversity, representatives of all sections of local communities, and in particular those most dependent on the natural resources as also those who have been traditionally conserving the area and related socio-economic aspects, from the following categories:

1) The District collector of the district may act as Chairman of the District Level Monitoring and Management committee.

2) Chief Executive Officer, Zilla Panchayat may act as Co-Chairman of the committee.
3) Divisional Forest Officer (territorial) of the area act as coordinator/nodal officer of the committee.

4) Representative from concerned Line Department (Agriculture, Animal Husbandry, Fishery and Horticulture Department).

5) Experts having knowledge and experience in the field of Natural Resource Management (forestry/wildlife/agro-biodiversity/ aquaculture management) or in the area relevant to the particular BHS.

6) Representatives of local community (nominated by local body/BMC).

7) Representatives from the BMC / or other relevant local institutions linked to the local bodies (in case BMC does not exist) (nominated by local body/BMC).

8) Representatives from the the Local body/Panchayat concerned (nominated by local body/BMC).

The tenure of this Committee may be three years.

Annexure- 5

Component of BHS Management Plan

MPSBB shall help technically and financially to the concerned BMCs and departments to prepare Management Plans of each BHS.

The following general issues/ points to be taken in BHS management plan:

a) Area

1) A map of the BHS with clear administrative boundaries as notified.
2) The status of the area (ownership).
3) The current land-use pattern, conservation related practices and beliefs.
4) The dependence of local communities in the area.
5) The status of major biodiversity sectors of the area (status as endemic, threatened, endangered or vulnerable.)
6) The wild life status of the area. (Whether a waterfowl refuge during winter, breeding place for water birds or corridor for any wild animals.)
7) Authentic data on the flora, fauna and natural resources in the area.
8) The development activities of the area (the projects, if any ongoing or proposed, in the area under any government/ international schemes.) Any project/activity to be implemented by government or any other agency, which is likely to have adverse impact on the BHS, may be avoided.
9) Threats (if any to the BHS) and Present potential of the area.

b) Conservation Issues :

1) The existing conservation related management practices serving the purpose of the proposed BHS may be documented and considered as the BHS Management Plan.
2) The suggestions, if any, from the local communities for the improved conservation of biodiversity and the betterment of the livelihood by using natural resources.
3) Any shift in the pattern of bio-resources utilization during the past 10 years. If so, the reason for such shift.
4) The type and quantum of bio-resources being used by the local community and their role/importance in the domestic economy as also the average income from them in situations where they are marketed.
5) Generally no restriction is likely to be placed on the community on the existing utilization of resources from the proposed BHS. Restriction in form of regulating the use of the resources may be warranted in some cases, if required.
6) The management structure and utilization of resources for BHS notified on Government forest areas and other protected areas will be determined by the concerned departments of the State Government.

7) Management prescription shall be separately for conservation and sustainable use of bio-resources to enhance the livelihood of the local community.

8) The process of management planning must not be one that constrains the wide variety of ways in which communities conserve and manage natural resources. It should also not be considered absolutely necessary to formulate a management plan, if the community has other adequate means of sustaining the effort and if thereby, conservation and sustainable management is taking place. In many situations also, communities may not be in a position to immediately or quickly formulate such a plan for BHS, which should not be a reason for not accepting their site as a BHS.

9) The Management Plan of BHS may also be integrated into the district level planning process, to enable optimum facilitation and funding by relevant line departments and to mainstream the biodiversity conservation.

c) Period

1) Writing/ Preparation of complete of Management plan need to be completed within Six months from the final notification of BHS. The plan period for every BHS shall be normally ten years.

d) Budget

1) The financial requirement for BHS management may be included in the annual budget of the local body (ies) /concerned departments.

2) Once the BHS is notified by the State Government, the MoEF/ NBA may support the establishment of BHS financially by allocating adequate funding support through MPSBB.

3) The State Government may also allocate adequate seed money to each BHS on its notification through MPSBB.

4) The BMC or other institution which is managing BHS would be recognized by MPSBB as an authorized body to avail the financial assistance under all government schemes and other funding sources as legally permissible.

5) The existing/new interest accruing in saving account of BMCs or other institution, maintained in a nationalized bank or post office, is authorized to receive all such amounts. The accounts maintained by the aforesaid institutions managing BHS shall be audited annually as per the rules and as done in case of Local bodies.

e) Outcome

1) The ecological, social and economic impact will be included in the BHS management plan.

Madhya Pradesh State Biodiversity Board
मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

26, Kisan Bhawan, Ist Floor, Arera Hills, Bhopal - 462011
26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011
Phone No. 0755-2554539, 2554549, 2764911, Fax. 0755-2764912
E-mail - mp_biodiversityboard@yahoo.co.in, Website : wwwmpsbb.nic.in and www.mpsbb.info

क्रमांक / जैविबो / प्रबंधक (बायो) / 2017 / 435 भोपाल, दिनांक 15.03.2017

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,

....

....

विषयः– मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017 के क्रियान्वयन बावत्।

उपरोक्त विषय में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत स्थानीय निकाय के परामर्श से जैवविविधता महत्व के क्षेत्रों को जैवविविधता विरासतीय स्थल के रूप में राजपत्र में अधिसूचित करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 (1) के अंतर्गत प्रदेश में स्थित जैवविविधता महत्व के क्षेत्रों को केन्द्र शासन एवं स्थानीय निकाय से परामर्श के आधार पर जैवविविधता विरासत स्थल अधिसूचित करने की व्यवस्था दी गयी है तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के उप नियम 22 (2) के अंतर्गत जैवविविधता विरासतीय स्थल का चयन, प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्था के संबंध में दिशानिर्देश बनाये जाने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 12 वीं बोर्ड बैठक में उपरोक्त विधि–विधान के परिवेश में मध्य प्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल का चयन, प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्था हेतु **मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश, 2017** का अनुमोदन किया गया है।

प्रदेश में वानिकी जैवविविधता, कृषि जैवविविधता, पालतू जैवविविधता, उद्यानिकी जैवविविधता, मत्स्य जैवविविधता के क्षेत्रों में जैवविविधता महत्व के क्षेत्र विद्यमान हैं। इन जैवविविधता के सहयोगी विभागों द्वारा संबंधित क्षेत्रों को संरक्षित करने हेतु जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में चिन्हित एवं घोषित करने की कार्यवाही की जाना है। विभाग द्वारा "मध्य प्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल दिशानिर्देश 2017" अनुसार संबंधित जैवविविधता महत्व के क्षेत्रों को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित करने हेतु प्रस्तावित कर सकते हैं। सुलभ संदर्भ हेतु विभागों से संबंधित संभावित (Indicative) जैवविविधता विरासत स्थलों की सूची **परिशिष्ट–1** में संलग्न है।

अतः प्रदेश की जैवविविधता धरोहर को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ प्रबंधन करते हुए संरक्षित करने हेतु जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले प्रदेश के सहयोगी विभागों (वन, कृषि, मत्स्य, पशुपालन एवं उद्यानिकी) से यह अनुरोध है कि अपने–अपने क्षेत्राधिकार में जैवविविधता महत्व वाले क्षेत्रों (जिसमें प्राकृतिक धरोहर भी सम्मिलित है) की जैवविविधता संरक्षण की दिशा में उन्हें चिन्हांकित कर अपने प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रेषित कर सकते हैं। जैवविविधता विरासत स्थलों की घोषणा व तत्संबंधी प्रबंधन योजना निर्माण के उपरांत इन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण व केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

15/3/17

(आर. श्रीनिवास मूर्ति)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश में संभावित जैवविविधता विरासत स्थलों की सूची

क्र	क्षेत्र का नाम	जिला	जैवविविधता का प्रकार	संबंधित विभाग
1.	पातालकोट क्षेत्र	छिन्दवाड़ा	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
2.	सागौन–साल टांज़िसन जोन	छिन्दवाड़ा	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
3.	अमोदगढ़ क्षेत्र	सिवनी	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
4.	सोनेवानी क्षेत्र	बालाघाट	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
5.	लौगूर क्षेत्र	बालाघाट	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
6.	साल वन क्षेत्र	नरसिंहपुर	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
7.	अमरकंटक क्षेत्र	अनूपपुर	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
8.	क्योटीगढ़ी क्षेत्र	रीवा	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
9.	चित्रकूट क्षेत्र	सतना	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
10.	जटाशंकर क्षेत्र	छतरपुर	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
11.	बृहस्पति कुंड क्षेत्र	पन्ना	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
12.	कल्दा क्षेत्र	पन्ना	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
13.	बूढ़ी चंदेरी पहाड़ी क्षेत्र	अशोकनगर	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
14.	नर्मदा में महाशीर मछली क्षेत्र	खरगौन	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
15.	प्रदेश से सभी नदियों का उद्गम क्षेत्र (Head waters)	संबंधित जिले	वानिकी जैवविविधता	वन विभाग
16.	शरबती गेहूँ क्षेत्र	सीहोर, विदिशा	कृषि जैवविविधता	कृषि विभाग
17.	जीराशंकर धान क्षेत्र	सिवनी,बालाघाट	कृषि जैवविविधता	कृषि विभाग
18.	चिन्नौर धान क्षेत्र	बालाघाट	कृषि जैवविविधता	कृषि विभाग
19.	कालीमूछ धान क्षेत्र	डबरा–मुरैना	कृषि जैवविविधता	कृषि विभाग
20.	कट्ठीवाड़ा आम क्षेत्र	अलीराजपुर	उद्यानिकी जैवविविधता	उद्यानिकी विभाग
21.	सुंदरजा आम क्षेत्र	रीवा	उद्यानिकी जैवविविधता	उद्यानिकी विभाग
22.	निमाड़ी नस्ल गाय क्षेत्र	खरगौन, बड़वानी	पालतू पशु जैवविविधता	पशुपालन विभाग
23.	मालवी नस्ल गाय क्षेत्र	आगर, शाजापुर	पालतू पशु जैवविविधता	पशुपालन विभाग
24.	केनकथा नस्ल गाय क्षेत्र	पन्ना	पालतू पशु जैवविविधता	पशुपालन विभाग
25.	ग्वालो नस्ल गाय क्षेत्र	छिन्दवाड़ा	पालतू पशु जैवविविधता	पशुपालन विभाग
26.	कड़कनाथ कुक्कुट क्षेत्र	धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर	पालतू पशु जैवविविधता	पशुपालन विभाग

टीप :– क्षेत्रीय अधिकारी इस दिश में अन्य क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक प्रस्तावमध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल को प्रेषित कर सकेंगे।

Indicative List of Biodiversity Heritage sites of Madhya Pradesh

SNo.	Name of Area	District	Type of Biodiversity	Related Department
1.	Patalkot area	Chindwara	Forest Biodiversity	Forest Department
2.	Sagon-Sal transition zone	Chindwara	Forest Biodiversity	Forest Department
3.	Amodgarh area	Seoni	Forest Biodiversity	Forest Department
4.	Sonewani area	Balagahat	Forest Biodiversity	Forest Department
5.	Lagour area	Balaghat	Forest Biodiversity	Forest Department
6.	Sal forest area	Narsinghpur	Forest Biodiversity	Forest Department
7.	Amarkantak area	Anuppur	Forest Biodiversity	Forest Department
8.	Keoti Gadhi area	Rewa	Forest Biodiversity	Forest Department
9.	Chitrakoot area	Satna	Forest Biodiversity	Forest Department
10.	Jatashankar area	Chatarpur	Forest Biodiversity	Forest Department
11.	Brahspati Kund area	Panna	Forest Biodiversity	Forest Department
12.	Kalda area	Panna	Forest Biodiversity	Forest Department
13.	Budhi Chanderi Pahadi area	Ashok nagar	Forest Biodiversity	Forest Department
14.	Mahsheer area in Narmada river	Related districts	Forest Biodiversity	Forest Department
15.	Head waters of rivers originating from State	Related districts	Forest Biodiversity	Forest Department
16.	Sharbati Wheat area	Sehor, Vidisha	Agro Biodiversity	Agriculture Department
17.	Jeerashankar Rice area	Seoni,Balaghat	Agro Biodiversity	Agriculture Department
18.	Chinnor Rice area	Balaghat	Agro Biodiversity	Agriculture Department
19.	Kalimooch Rice area	Dabra,Morena	Agro Biodiversity	Agriculture Department
20.	Katthiwada Mango area	Alirajpur	Horticulture Biodiversity	Horticulture Department
21.	Sunderja Mango area	Rewa	Horticulture Biodiversity	Horticulture Department
22.	Nimari Breed Cattle area	Khagone,Barwani	Domesticated Animal Biodiversity	Department Animal Husbandry
23.	Malvi Breed Cattle area	Agar,Shajapur	Domesticated Animal Biodiversity	Department Animal Husbandry
24.	Kenkatha Breed Cattle area	Panna	Domesticated Animal Biodiversity	Department Animal Husbandry
25.	Gaolo Breed Cattle area	Chindwara	Domesticated Animal Biodiversity	Department Animal Husbandry
26.	Kadaknath Poultry Breed area	Jhabua,Alirajpur,Dhar	Domesticated Animal Biodiversity	Department Animal Husbandry

Note:- Field officers may send necessary proposal to M.P. State Biodiversity Board in this direction for identifying the related areas.